कृषि विपणन अवसंरचना विकास योजना (एएमआई)

उद्देश्य :

(i) विपणन अवसंरचना का विकास अर्थात मार्किट यार्ड में बुनियादी सुविधाएं जैसे नीलामी हेतु प्लेटफार्म, चढ़ाई, उतराई, सुखाई,सफाई आदि आम सुविधाएं ।

अनुषंगी/ सहायक अवसंरचना जैसे दुकान/कार्यालय, लदान/उतराई/ उपज को इकट्ठा करने एवं नीलामी के लिए चबूतरा, पार्किंग शेड, आंतरिक सड़कें, कूड़ा फेंकने की व्यवस्था, चारदीवारी, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था, तुलाई और यांत्रिक रख-रखाव उपस्करों की व्यवस्था की भी अनुमति होगी । **हालांकि**, **स्टेंड अलोन सहायक / समर्थन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता नहीं की जाएगी**।

(ii) माल एकत्र करन, सुखाना, सफाई, श्रेणीकरण, मानकीकरण, एपीएस (स्वास्थ्य संरक्षक एवं स्वास्थ्य पूरक उपाय), गुणवत्ता प्रमाणन, लेबलिंग, पैकेजिंग, पकाने के चैम्बर्स, खुदरा और थोक ब्रिकी, मूल्य बढ़ाने की सुविधाओं (उत्पादन का रूप बदले बिना) इत्यादि

(iii) उत्पादकों से उपभोक्ताओं/ प्रसंस्करण इकाइयों/थोक क्रेताओं तक कृषि वस्तुओं के प्रत्यक्ष विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना ।

(iv) ई-व्यापार, मंडी आसूचना, विस्तार और मण्डी प्रधान उत्पादन योजना के लिए अवसंरचना (उपस्कर, हार्डवेयर, गैजेट) आदि ।

(v) फसलोपरांत कार्यों (परिवहन उपस्कर को छोड़कर) यथा ग्रेडिंग, पैकिंग, बादबानी वैन, या किसी अन्य प्रशीतित वैन सहित गुणवत्ता परीक्षण आदि। **हालांकि**, **परिवहन वाहन जैसे ट्रक**, **वैन इत्यादि सहायता हेतु अनुमत नहीं होंगे ।**

(vi) रेलवे साइडिंग को छोड़कर अनाज के भण्डारण हेतु एकल-सिलोस सहित भण्डारण अवसंरचना जैसे गोदाम जिनमें लोडिंग, अनलोडिंग, बैगिंग आदि सहायक सुविधाएं हों ।

हालांकि नवीकरण के लिए सहायता केवल सहकारी समितिओं के भण्डारण अवसंरचना परियोजना तक प्रतिबंधित की गई है ।

पात्रता :

(i) एकल व्यक्ति, कृषक / उत्पादक : समूह, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन ।
(ii) साझेदारी/स्वामित्व फर्में, कम्पनियां, निगम,
(iii) गैर-सरकारी संगठन(एनजीओ) स्वयं सहायता समूह(एसएचजीएस)
(iv) सरकारी निकाय, सहकारी स्वायत्त विपणन संघ
(v) राज्य सरकार के स्वायत निकाय, स्थानीय निकाय(भण्डारण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नगर निगम को छोड़कर), पंचायत ।

(vi) राज्य एजेंसियों की बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जिनमें विद्यमान विपणन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण / आधुनिकीकरण के लिए, नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित / सह-वित्तपोषित परियोजनाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगी ।

ऋण की सीमा : आवश्यकता आधारित ।

मार्जिन : 20%

सब्सिडी : योजना के अंतर्गत सब्सिडी निम्नानुसार उपलब्ध होगी ।

नोट : **अधिक जानकारी के लिए** एग्रीकल्चर बैंकिंग लिंक में - किसान - पीएनबी क्षेत्र की योजना